तेज रफ्तार ट्रक ने मोपेड सवार को मारी टक्कर, मौत

संस, जागरण, लोनी : कस्बा चौकी के पास लोनी-गाजियाबाद मार्ग पर मंगलवार सुबह तेज रफ्तार ट्रक ने मोपेड सवार व्यक्ति को टक्कर मार दी। हादसे में बाबरपुर दिल्ली के 70 वर्षीय जगबीर सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। उन्होंने हेलमेट लगा रखा था।

होटल में लगी आग, सात लोगों को बचाया गया

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली: करोल बाग इलाके में मंगलवार शाम तीन मंजिला मिड टाउन नामक होटल के भूतल पर आग लग गई। बताया जा रहा है भूतल पर कूड़े के ढेर में आग लगी। जिसका धुआं तीसरी मंजिल तक पहुंच गया। आननफानन में होटल में मौजूद लोगों को तुरंत सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, लेकिन अत्यधिक धुआं फैलने से अंदर सात लोग फंस गए। इनमें से एक बच्चा समेत तीन लोगों को स्थानीय लोगों ने बाहर निकाला। पहली और दूसरी मंजिल पर फंसे शेष चार लोगों को फायर कर्मियों ने मौके पर पहुंच कर सुरक्षित बाहर निकाला। डीसीपी मध्य जिला एम हर्ष बर्धन के मुताबिक सूचना मिलने पर अग्निशमन विभाग की सात गाड़ियों को मौके पर भेजा गया था। फायर कर्मियों ने निशांत, रिंकी, अभिजीत और साहिल को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। धुआं के कारण इनको सांस लेने में कुछ दिक्कत होने लगी, जिससे इन्हें प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद सभी को छुट्टी दे दी गई। जांच से पता चला है भूतल पर मौजूद कूड़े में आग लगी। इस दौरान होटल में करीब 25 से ज्यादा लोग थे।

एलजी ने क्यों नहीं किया था महिला पहलवानों का समर्थन: आप

राज्य ब्यूरो, जागरण ● नई दिल्ली: राज्यसभा सदस्य स्वाति मालीवाल मामले में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बयान पर 'आप' ने पलटवार किया है। 'आप' का कहना है कि अब यह साबित हो गया है कि स्वाति भाजपा के लिए काम कर रही हैं।

केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि चुनाव में भाजपा रोज नई साजिश लेकर आ रही है। दिल्ली में 25 मई और पंजाब में एक जून को मतदान है, तब तक भाजपा ऐसे ही रोज नए हथकंडे अपनाएगी। जंतर-मंतर पर धरने पर बैठी महिला पहलवानों ने भाजपा सांसद ब्रजभूषण पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हुआ, धारा 354 के मुकदमे के बावजूद आरोपित सांसद को एक दिन के लिए भी गिरफ्तार नहीं किया गया था। इसपर एलजी कुछ क्यों नहीं बोले थे।

उन्होंने कहा कि स्वाति पिछले कुछ महीनों से भाजपा नेताओं से संपर्क में हैं। लगता है अब दिल्ली महिला आयोग में भर्ती घोटाले का केस खत्म होने के करीब है।

प्रवेश सूचना

राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली

प्रशिक्षण महानिदेशालय, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार की सी.टी.एस. योजना में अगस्त, 2024 से प्रारम्भ हो रहे सत्र के लिए निम्नलिखित ट्रेडों में दाखिले के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। ट्रेड, प्रवेश योग्यता तथा प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों की अवधि के विवरण नीचे दिए गए हैं:

क्र. स.	ट्रेड का नाम	सीटें	प्रशिक्षण की अवधि	प्रवेश योग्यता
1.	हेल्थ सेनेटरी इंस्पेक्टर	216	1 वर्ष	दसवीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हो।
2.	फिजियोथेरपी तकनीशियन	60	1 वर्ष	दसवीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हो।
3.	डेंटल लैब तकनीशियन	48	2 वर्ष	दसवीं कक्षा परीक्षा उत्तीर्ण हो।
4.	रेडियोलॉजी तकनीशियन	40	2 वर्ष	बारहवीं कक्षा परीक्षा (विज्ञान वर्ग) उत्तीर्ण हो।

प्रस्तुत विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त सीटों की उपलब्धता तथा दाखिला शुल्क का विवरण संस्थान की वेबसाइट पर देखें।

1. **प्रमाण पत्र** : पाठ्यक्रम के पूरा होने के बाद, सफल प्रशिक्षुओं को राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद (NCVT), भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाणपत्र दिया जाता है, जो कि केंद्र सरकार/राज्य सरकारों/पीएसयू के अधीन अधीनस्थ पदों और सेवाओं की भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त योग्यता है।
2. **चयन प्रक्रिया** : सभी सीटों पर दाखिले पहले आओ तथा पहले पाओ के आधार पर किए जाएंगे।
3. **आयु** : उम्मीदवार की आयु 1 अगस्त 2024 को कम से कम 14 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
4. **आवेदन कैसे करें** : उम्मीदवार संस्थान की वेबसाइट **www.nitcindia.com** से प्रवेश पत्र ऑनलाइन भरकर ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन विवरणिका को रुपये 200/- का नकद भुगतान करके संस्थान से भौतिक रूप से भी लिया जा सकता है।
   नोट : फॉर्म भरते समय रुपये 500/- का अप्रतिदेय पंजीकरण शुल्क भी देय होगा ।
5. **छात्रवृत्ति** : प्रवेश के पश्चात् आय प्रमाण पत्र रखने वाले आरक्षित वर्ग के छात्र भारत सरकार की ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति की छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
6. **बस-पास सुविधा** : सरकार छात्रों को 100 रुपये प्रति माह की दर से रियायती बस-पास सुविधा प्रदान करती है, यह दिल्ली में चलने वाली सभी एसी और गैर-एसी बसों में मान्य है।
7. अधिक जानकारी के लिए संस्थान की वेबसाइट **www.nitcindia.com** पर लॉग ऑन करें।
8. **प्रवेश की अंतिम तिथि : 1 जुलाई, 2024**

निदेशक

राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, नई दिल्ली
30-34, सेवक पार्क, द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन, पिलर नं.-771 के सामने, मेन नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली - 110059
व्हाट्स ऐप हेल्पलाइन : 9315138815, 011-42828067 (सुबह 10:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक)
वि.सं.: रा./औ./24

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि.

सूचना: एतद्वारा विद्युत वितरण मण्डल, लोनी के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सभी सम्मानित उपभोक्ताओं को सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग (ऊर्जा (वि.नि.) अनुभाग) की उत्तर प्रदेश नियामक आयोग, लखनऊ से सम्बन्धित उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, विनियमावली - 22 सम्बन्धी अधिसूचना संख्या यूपीईआरसी / रेग्लेटरी / विनियमावली / 2022-262 दिनांक 21.07.2022 में निहित प्रावधानों के अनुपालन में उपभोक्ताओं के विद्युत बिल, संयोजन इत्यादि सम्बन्धी शिकायतों के निस्तारण हेतु मण्डल स्तर पर "उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम" का गठन किया गया है, जिसका विवरण निम्नवत् है:- फोरम का नाम - मण्डलीय उपभोक्ता व्यथा निवारण फोरम, विद्युत वितरण मण्डल, लोनी। कार्य प्रारम्भ की तिथि - 19.03.2024, फोरम का पता - कार्यालय विद्युत वितरण मण्डल, लोनी 33/11 केवी विद्युत उपकेन्द्र कॉलेज एन्क्लेव भोपुरा। टेलीफोन नम्बर- 9193330550, ई-मेल - se.loni@pvvnl.org. फोरम का अधिकार क्षेत्र- विद्युत वितरण मण्डल, लोनी के क्षेत्रान्तर्गत आने वाले सभी सम्मानित विद्युत उपभोक्तागण। विद्युत चोरी की सूचना हेतु लाईन नं. 1800-180-8002 (गैरठ); 1800-180-8702 (लखनऊ) पर दें। राष्ट्रहित में जिंदगी बचायें। " नरेश भारती, अधीक्षण अभियन्ता विद्युत वितरण मण्डल लोनी पत्रांक: 5963 दिनांक: 21.05.2024

वल्लभभाई पटेल चेस्ट इंस्टीट्यूट
दिल्ली विश्वविद्यालय
दिल्ली-110007
वेबसाइट: www.vpci.org.in

पल्मोनरी मेडिसिन (वेतनमान - 11) में सीनियर रेजीडेंट (दो) के खाली पद के सापेक्ष अस्थायी; अनौपचारिक नियुक्ति हेतु प्रवेश - साक्षात्कार संस्थान के निदेशक के कार्यालय में 28/05/2024 (मंगलवार) को 11.00 बजे आगोजित किये जायेंगे। अस्थायी / अनौपचारिक नियुक्ति, शुरुआत में 89 दिनों की अवधि के लिए होगी, जिसे सामान्य ब्रेक देने के बाद या सर्वोत्तम श्रेणी में सीनियर रेजीडेंट के नियमित नियुक्ति तक बढ़ाया जा सकता है, इनमें से जो पहले हो। पल्मोनरी मेडिसिन में एमडी / डीएनबी डिग्री धारक आवेदक निदेशक, वी.पी. चेस्ट इंस्टीट्यूट, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007 के कार्यालय में पूर्ण आवेदन सहित एवं निदेशक "वीपीसीआई" के पक्ष में डीडी के रूप में रु. 500/- के अप्रतिदेय शुल्क के साथ 28/05/2024 को 09.30 बजे पंजीकरण हेतु उपस्थित हो सकते हैं। विभागीय व्यक्तियों ने कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। विस्तृत एवं अन्य नियम एवं शर्तों हेतु, कृपया हमारी वेबसाइट : www.vpci.org.in देखें।

CBC 17169/12/0006/2425 निदेशक

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण
INLAND WATERWAYS AUTHORITY OF INDIA
(पत्तन, पोत एवं जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
ए-13, सैक्टर-1, नोएडा-201301 (उत्तर प्रदेश), दूरभाष: 0120 - 2474050 और 2544036

सूचना

संक्षिप्त रोजगार सूचना सं. आईडब्ल्यूएआई/कार्गो/463/224 पी1, दिनांक: 20.05.2024

मुख्यालय नोएडा में पूर्णतः अनुबंध आधार पर एक वर्ष की अवधि, जो आगे 02 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है, के लिए वरि. सलाहकार (संचार), कार्यपालक (ग्राफिक्स) एवं कार्यपालक (कंटेंट एवं सोशियल मीडिया) के पदों पर नियुक्ति

भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय जलमार्गों के विनियमन, विकास एवं रखरखाव के लिए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन संसद के अधिनियम, भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1985 (82 ऑफ 1985) द्वारा गठित एक स्वायत्त निकाय है।

यह पूर्णतः अनुबंध आधार पर वरि. सलाहकार (संचार), कार्यपालक (ग्राफिक्स) एवं कार्यपालक (कंटेंट एवं सोशियल मीडिया) के पदों को भरने का प्रस्ताव करता है (प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि, जो आगे 02 वर्षों के लिए बढ़ाई जा सकती है) और इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित करता है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को अधिकतम आयु सीमा 63 वर्ष है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि विज्ञापन की तिथि से 30 दिन अर्थात् 19.06.2024 है। योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप में सहायक सचिव (एएंडई), आईडब्ल्यूएआई, नोएडा को संबोधित करते हुए आवेदन कर सकते है।

योग्यता, टीओआर आदि से संबंधित विस्तृत विवरणों के लिए कृपया आईडब्ल्यूएआई वेबसाइट **www.iwai.nic.in** को देखें।

हस्ता./-
सचिव

कार्यालय नगर पालिका परिषद, मोदीनगर, जनपद-गाजियाबाद

पत्रांक - 254 / न.पा.परि.मोदी. / 2024 दिनांक 21.05.24

सार्वजनिक सूचना

नगर पालिका परिषद मोदीनगर सीमान्तर्गत स्थित समस्त मैरिज हॉल प्रबन्धकों, रेस्टोरेन्ट प्रबन्धकों, होटल प्रबन्धकों व मन्दिर समितियों आदि को सूचित किया जाता है कि आप सभी अपने यहां होने वाले आयोजनों को जीरो वेस्ट इवेन्ट के रूप में आयोजित करें। आयोजन के दौरान प्रतिबन्धित पालियीन, एकल उपयोग प्लास्टिक व गैर पुनर्चक्रण योग्य वस्तुओं का उपयोग नहीं करें तथा कार्यक्रम के दौरान जनित होने वाले कचरे का आन साइट ही निस्तारण सुनिश्चित करें। यदि कोई भी संस्थान प्रतिबन्धित पॉलिथीन व एकल उपयोग प्लास्टिक का उपयोग करता हुआ पाया जाता है तो उसके विरुद्ध प्लास्टिक प्रबन्धन नियम 2016 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा शासन द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड भी वसूल किया जायेगा। यदि अन्य कोई व्यक्ति गंदगी करता पाया जाता है तो उसकी सूचना पालिका के कन्ट्रोल रूम हेल्पलाइन नम्बर - 7817826261 पर सूचित करें।

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद मोदीनगर।

अध्यक्ष
नगर पालिका परिषद मोदीनगर।

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
क्षेत्रीय कार्यालय : गुरूग्राम पश्चिम
टेलीफोन एक्सचेंज बिल्डिंग, सैक्टर-56, गुरुग्राम - 122011 (हरियाणा)

सार्वजनिक सूचना

27/मई/2024 को ईपीएफओ द्वारा जिला स्तरीय आउटरीच कार्यक्रम

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत एक वैधानिक निकाय जनवरी 2023 से '**निधि आपके निकट 2.0**' नामक एक जिला स्तरीय आउटरीच कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। कार्यक्रम एक समावेशी, सुसंगत और व्यापक तंत्र है जो एक शिकायत निवारण मंच के साथ-साथ कर्मचारियों, नियोक्ताओं और पेंशन भोगियों के लिए एक सूचना विनिमय नेटवर्क के रूप में कार्य करेगा। गुरुग्राम (पश्चिम) में, '**निधि आपके निकट 2.0**' **27/मई/2024 (सोमवार)** को निम्नलिखित प्रतिष्ठानों में आयोजित किया जाएगा, जिलेवार विवरण इस प्रकार हैं:

1. वीवीडीएन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, पता: प्लॉट नंबर सीपी-07, एमजीआईपी, सेक्टर- 8, मानेसर
2. एम/एस जेटेक बियरिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 8 चरण 3 सेक्टर 8 एचएसआईआईडीसी आईएमटी बावल, रेवाड़ी
3. सूरज सीनियर सेकेंडरी स्कूल वीपीओ बुचौली, महेंद्रगढ़

जो लोग इस कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं वे संबंधित शिविर में व्यक्तिगत रूप से जाकर भाग ले सकते हैं और शिविर में उपस्थित विभाग के अधिकारियों के साथ अपने संबंधित मुद्दे उठा सकते हैं।

कृते/-
क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
(गुरुग्राम पश्चिम)

भारत सरकार
डॉ राम मनोहर लोहिया अस्पताल, अटल बिहारी बाजपेयी आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली-110001

छप:HA-II-12018/1/2023-HA-II-Section - Dr. RMLH

जूनियर रेजिडेंट (गैर शैक्षणिक) के पद के लिए भर्ती सूचना

चिकित्सा अधीक्षक, डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल और एबीवीआईएमएस, नई दिल्ली नियमित आधार पर (एक वर्ष के लिए) जूनियर रेजिडेंट (गैर-शैक्षणिक) के पदों के लिए वेबसाइट **rmlh.nic.in** पर उपलब्ध निर्धारित फॉर्म में भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करते हैं।

विस्तृत विज्ञापन, पदों की संख्या, पात्रता शर्तें, वेतन संरचना, आयु मानदंड, आवेदन पत्र और अन्य विवरण वेबसाइट **www.rmlh.nic.in** पर पूर्ण विज्ञापन में देखे जा सकते हैं। इस विज्ञापन के संबंध में कोई भी शुद्धिपत्र / संशोधन आदेश केवल अस्पताल की वेबसाइट पर जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को इस उद्देश्य के लिए नियमित रूप से अस्पताल की वेबसाइट **www.rmlh.nic.in** पर जाने की सलाह दी जाती है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 05.06.2024 अपराह्न 03:00 बजे तक है।

प्रभारी अधिकारी (एचए -II)
ए.बी.वी.आई.एम.एस. एवं डॉ. आरएमएल अस्पताल
नई दिल्ली

CBC: 17149/11/0001/2425

कार्यालय निर्वाचन अधिकारी पूर्वी दिल्ली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र / कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, पूर्वी जिला
एल. एम. बंध, शास्त्री नगर, दिल्ली- 110031

सार्वजनिक सूचना

पूर्वी दिल्ली संसदीय क्षेत्र - 03 के सभी मतदाताओं/ जन साधारण एवं राजनितिक दलों को सूचित किया जाता है कि भारत के चुनाव आयोग के दिनांक 19.03.2024 के आदेशानुसार, सभी निर्वाचन क्षेत्रों के मतदाताओं, जिन्हे निर्वाचक फोटो पहचान पत्र जारी किये गए हैं, से अपेक्षा की जाती है कि वे मतदान स्थल पर मत डालने से पहले अपनी पहचान सुनिश्चित करने हेतु निर्वाचक फोटो पहचान पत्र दिखाएंगे। ऐसे निर्वाचक जो अपना निर्वाचक फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें अपनी पहचान स्थापित करने के लिए निम्नलिखित वैकल्पिक फोटो पहचान दस्तावेजों में से कोई एक प्रस्तुत करना होगा :

1. आधार कार्ड,
2. मनरेगा जॉब कार्ड,
3. बैंको / डाकघरों द्वारा जारी किये गए फोटोयुक्त पासबुक,
4. श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड,
5. ड्राइविंग लाइसेंस
6. पैन कार्ड,
7. एन पी आर के अंतर्गत आर जी आई द्वारा जारी किये गए स्मार्ट कार्ड,
8. भारतीय पासपोर्ट,
9. फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज,
10. केंद्र/राज्य सरकार / लोक उपक्रम/ पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र,
11. सांसदों / विधायकों / विधान सभा परिषद सदस्यओं को जारी किये गए सरकारी पहचान पत्र, और
12. यूनिक डिसेबिलिटी आइ डी (यूडीआईडी) कार्ड, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।

मतदाताओं की सुविधा के लिए, बूथ स्तर अधिकारियों के माध्यम से सभी मतदाताओं को उनके निवास पर प्रमाणित मतदाता पर्ची पहले ही वितरित की जा चुकी है, जिसमें मतदान केंद्र, मतदान की तारीख, समय आदि जैसी जानकारी शामिल है। इसके अलावा मतदान के दिन, बूथ स्तर अधिकारी या अन्य नामित अधिकारी बिना वितरित मतदाता पर्चियों के साथ प्रत्येक मतदान केंद्र के मतदाता सहायता बूथ पर उपलब्ध रहेंगे। यदि किसी मतदाता को मतदाता पर्ची नहीं मिली है तो उसे मतदान केंद्र पर प्राप्त किया जा सकता है।

3. कृपया ध्यान दें कि चुनाव आयोग ने उपरोक्त उल्लिखित आदेश दिनांक 19.03.2024 के तहत यह निर्दिष्ट किया है कि मतदाता सूचना पर्ची को मतदाताओं की पहचान के लिए एक अकेले सबूत के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी और इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि हर एक मतदाता अपने साथ **EPIC** या चुनाव आयोग द्वारा ऊपर निर्दिष्ट 12 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक मतदान केंद्रों पर पहचान के लिए अपने साथ ले कर जरूर जायें।
4. प्रवासी मतदाताओं की पहचान मतदान केंद्र में केवल उनके मूल पासपोर्ट के आधार पर ही की जाएगी।

-Sd-
(अमोल श्रीवास्तव, आई.ए.एस.)
निर्वाचन अधिकारी, ईडीपीएस

DIP/SHADARTH/C.ASSIFIED/0072/24-25

राष्ट्रीय बौद्धिक दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान
पूर्व में राष्ट्रीय मानसिक दिव्यांगजन संस्थान
दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार
(एक आईएसओ 9001:2015 संस्थान)

मनोविकास नगर, सिकन्दराबाद - 500009
दूरभाष संख्या: 27751741-745; फैक्स नंबर 040-27750198; वेबसाइट: www.niepid.nic.in

प्रवेश अधिसूचना 2024-25

एनआईईपीआईडी और इसके क्षेत्रीय केंद्र / समग्र क्षेत्रीय केंद्र शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए विशेष शिक्षा में डिप्लोमा, यूजी और पीजी पाठ्यक्रमों के लिए आवेदन आमंत्रित करते हैं। एनआईईपीआईटी, सिकंदराबाद, क्षेत्रीय केंद्र (आरसी), नवी मुंबई, नोएडा, कोलकाता, समग्र क्षेत्रीय केंद्र (सीआरसी) दावणगेरे, राजनांदगांव और नेल्लोर में पाठ्यक्रम निम्नानुसार पेश किए जाते हैं:

निम्नलिखित पाठ्यक्रम यहां प्रस्तुत किए जाते हैं:

एनआईईपीआईडी, सिकंदराबाद	:	डी.एड. एसई (आईडीडी), डीईसीएसई (आईडी), डीवीआर (आईडी), बी. एड. एसई (आईडी), एम. एड. एसई (आईडी), पीजीडीईआई, एम.फिल. पुनर्वास मनोविज्ञान में
आरसी, नोएडा	:	डी. एड. एसई (आईडीडी)
आरसी, कोलकाता	:	एम.एड. एसई (आईडी), बी. एड. एसई (आईडी), डी. एड. एसई (आईडीडी), डीवीआर (आईडी)
आरसी, नवी मुंबई	:	एम.एड. एसई (आईडी), बी. एड. एसई (आईडी), डी. एड. एसई (आईडीडी), डीईसीएसई (आईडी), डीवीआर (आईडी)
सीआरसी, दावणगेरे	:	डी. एड. एसई (आईडीडी), डी.एड. एसई (एचआई)
सीआरसी, राजनांदगांव	:	डी. एड. एसई (आईडीडी)
सीआरसी नेल्लोर	:	डी. एड. एसई (एचआई)

विस्तृत अधिसूचना, आवेदन - सह-प्रॉस्पेक्टस, पात्रता मानदंड, शुल्क विवरण और तिथियों के लिए हमारी वेबसाइट **www.niepid.nic.in** पर जाएं।

राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण
मुंबई बेंच के समक्ष
कंपनी योजना याचिका संख्या. C.P.(CAA)/66(MB)2024
में
कंपनी योजना आवेदन संख्या. C.A.(CAA)/251(MB)2023

कंपनी अधिनियम, 2013 के मामले में;
और
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230-232 के तहत याचिका के मामले में कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 के साथ पठित;
और
टाटा स्टील लिमिटेड और द इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच समामेलन की योजना के मामले में।

टाटा स्टील लिमिटेड
[CIN: L27100MH1907PLC000260], भारतीय कंपनी अधिनियम, 1882 के प्रावधानों के तहत एक निगमित कंपनी और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है और इसका पंजीकृत कार्यालय बॉम्बे हाउस, 24, होमी मोदी स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई - 400001 में है।

...याचिकाकर्ता कंपनी / अंतरिती कंपनी

इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड
[CIN: U27106WB1935PLC008447], कंपनी अधिनियम, 1913 के प्रावधानों के तहत एक निगमित कंपनी और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जिसका पंजीकृत कार्यालय फ्लैट-7D & E, 7वीं मंजिल, एवरेस्ट हाउस, 46C चौरंगी रोड, कोलकाता-700071 में है।

...गैर-याचिकाकर्ता कंपनी / अंतरणकर्ता कंपनी

कंपनी स्कीम से संबंधित याचिका की सुनवाई की सूचना

एतद द्वारा **सूचित** किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 230 से 232 के तहत उपरोक्त नामित कंपनी योजना याचिका (``**याचिका**``) सहपठित कंपनी (समझौता, व्यवस्था और समामेलन) नियम, 2016 (``**नियम**``), जो टाटा स्टील लिमिटेड (``**याचिकाकर्ता कंपनी/अंतरिती कंपनी**``) और इंडियन स्टील एंड वायर प्रोडक्ट्स लिमिटेड (``**गैर-याचिकाकर्ता कंपनी/अंतरणकर्ता कंपनी**``) और उनके संबंधित शेयरधारकों के बीच समामेलन की योजना को मंजूरी देने की मांग करती है, को माननीय राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण मुंबई बेंच-VI (``**माननीय ट्रिब्यूनल**``) द्वारा 30 अप्रैल, 2024 के आदेश द्वारा स्वीकार किया गया था।

नियमों के नियम 16 और माननीय न्यायाधिकरण के निर्देशों के अनुसार, सूचना दी जाती है कि उक्त याचिका माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष मंगलवार, 4 जून, 2024 को सुबह 10:30 बजे (IST) या उसके तुरंत बाद, सुनवाई के लिए तय की गई है, जैसा कि माननीय न्यायाधिकरण द्वारा आगे निर्देशित किया जा सकता है।

उक्त याचिका का समर्थन या विरोध करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति को याचिकाकर्ता कंपनी के अधिवक्ताओं को उनके नीचे दिए गए पते पर ऐसे इरादे के संबंध में सूचना भेजनी चाहिए, जिस पर उस व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति/वकील द्वारा हस्ताक्षर होना चाहिए, साथ ही उस व्यक्ति का पूरा नाम और पता (``सूचना``) भी होना चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति याचिका का विरोध करना चाहता है, विरोध के आधार या शपथ पत्र की एक प्रति, जिसका उपयोग याचिका के विरोध के लिए किया जाना है, माननीय न्यायाधिकरण के समक्ष दायर की जाएगी और उसकी एक प्रति, नोटिस के साथ याचिकाकर्ता कंपनी के वकील को प्रस्तुत की जाएगी। सूचना, विरोध के आधार औरध्या हलफनामे की एक प्रति, जिसका उपयोग याचिका के विरोध के लिए किया जाना है, याचिकाकर्ता कंपनी के अधिवक्ताओं के पास उक्त याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से 2 (दो) कार्य दिवस पहले पहुंच जानी चाहिए।

सभी दस्तावेज़ों के साथ याचिका की एक प्रति याचिकाकर्ता कंपनी के अधिवक्ताओं द्वारा इसकी आवश्यकता वाले किसी भी संबंधित व्यक्ति को लिखित रूप में किए गए अनुरोध पर निर्धारित शुल्क के भुगतान पर प्रस्तुत की जाएगी, जो उक्त याचिका की सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि से 2 (दो) कार्य दिवस पहले होनी चाहिए।

दिनांक 21 मई 2024

ह०/-

आर्गस पार्टनर्स के लिए
अधिवक्ता
11, प्रथम तल्ला, फ्री प्रेस हाउस
215, नरीमन पॉइंट,
मुंबई 400021, महाराष्ट्र
मोबाइल: +91 9883328895
ईमेल:kiran.sharma@argus-p.com
याचिकाकर्ता कंपनी के वकील